रूप-पत्र 4

(नियम 41 देखिये)

.....को अन्त होने वाली तिमाही/मास के लिए विक्रय धन / क्रय धन का विवरण पत्र

1. व्यापारी का नाम.....
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या.....
3. विवरण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम और प्रास्थिति (स्वामी,साझीदार, संचालक आदि)
4. उत्तर प्रदेश में व्यापार का मुख्य स्थान.....
5. उत्तर प्रदेश में शाखायें (1).....(2).....(3).....(4).....
6. व्यापार के मुख्य स्थान और शाखाओं में बेचे जाने वाले माल का वर्ग (1).....(2).....(3).....
7. बिक्रियाँ धारा 3-क या धारा 3ङया धारा 3घ(1) के अधीन कर योग्य माल का क्रय

(क)कुल विक्रय धन	रू0.....	रू0.....
(ख) कर मुक्त विक्रय धन	रू0.....	रू0.....
(ग)कर योग्य विक्रय धन	रू0.....	रू0.....

(ब्यौरे अनुलग्नक 1 और 2 में दिये गये है)

8. देयकर (अनुलग्नक 1 और 2 के ब्यौरे के अनुसार) रू0.....
9. ग्राहकों से वसूल किये गये कर की कुल धनराशि रू0.....
10. कोषागार में जमा किया गया / चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया गया /पुस्त-संक्रम द्वारा भुगतान किया गया कर धनराशि.....रू0.....

चालान/चेक/बैंक ड्राफ्ट सं.....दिनांक.....

घोषणा

मै.....जो.....नामक व्यापार का .. .. (प्रास्थिति, जैसे स्वामी, साझीदार, संचालक आदि) हूँ, एतद द्वारा घोषित एवम सत्यापित करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस विवरण-पत्र में दिये गये समस्त विवरण और अंक सत्य और पूर्ण है और कोई भी बात न तो जानबूझ कर छिपाई गई है और न गलत लिखी गई है।

व्यापारी का नाम और पता.....

हस्ताक्षर.....

प्रास्थिति.....

उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं.....

टिप्पणी -(1) विभिन्न स्तम्भों में विक्रय धन के अंको का निकटतम रूपये में पूर्णांक किया जायेगा।

(2)अनुलग्नक 1 और 2 के स्तम्भ 2 को नियम 41(1) में निर्दिष्ट व्यापारियों से भिन्न व्यापारियों द्वारा भरे जाने की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक -1

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

.....को अन्त होने वाले माल/तिमाही का विक्रय धन

माल का वर्ग/विवरण	संकेत संख्या	कुल विक्रय धन	उत्तर प्रदेश वाह्य पारेषण बिक्री	अन्तर्राज्यीय बिक्री
1	2	3	4	5

कर मुक्त बिक्री	धारा/नियम जिसके अधीन कर मुक्त हो	स्तम्भ 4 से 6 तक का योग	कर योग्य विक्रय धन (स्तम्भ 3 से स्तम्भ 8 को घटाकर)	दर	देयकर
6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर.....

प्रास्थिति.....

टिप्पणी- स्तम्भ 2 को नियम 41(1) में निर्दिष्ट व्यापारियों से भिन्न व्यापारियों द्वारा भरे जाने की आवश्यकता नहीं है।

व्यापारी का नाम और पता उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सं.....

अनुलग्नक - 2

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

.....को अन्त होने वाले मास/तिमाही का विक्रय धन

माल का वर्ग/विवरण	संकेत सं.	धारा 3-कककक या 3-ङ के अधीन कर योग्य और धारा 3घ (1) के अधीन विज्ञापित माल का कुल क्रय-धन	कर-मुक्त क्रयधन
1	2	3	4

धारा/नियम जिसके अधीन कर मुक्त हो	कर योग्य क्रय धन	दर	देयकर
5	6	7	8

हस्ताक्षर.....

प्रास्थिति.....

टिप्पणी - स्तम्भ 2 का नियम 41(1) में निर्दिष्ट व्यापारियों द्वारा भरे जाने की आवश्यकता नहीं है।